बिहार सरकार,

आपदा प्रबंधन विभाग ।

....

।। अधिसूचना ।।

संख्या-1 प्र0आ0-11/2006 3449 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक - 6/11/

केन्द्र सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 14 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा "बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण" का गठन किया जाता है, जिसका स्वरूप आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 14 की उपधारा (2) के अनुसार निम्नवत् होगा :

1. (क) बिहार राज्य के मुख्य मंत्री प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होंगे ।

(ख) अन्य सदस्य, जिनकी संख्या आठ से अधिक नहीं होगी, का नाम बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष (मुख्य मंत्री) के द्वारा निर्दिष्ट किया जायेगा ।

(ग) राज्य के मुख्य सचिव, पदेन सदस्य रहेंगे ।

2. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष (मुख्य मंत्री) के द्वारा उक्त आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 14 की उपधारा (3) एवं धारा 14 उपधारा (2) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिन अन्य सद (अधिकतम आठ) को नाम निर्दिष्ट किया जायेगा, उनमें से एक को राज्य प्राधिक के उपाध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा, जो प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होंगे ।

2.1. प्राधिकरण के नाम निर्दिष्ट सदस्यों एवं उपाध्यक्ष का कार्यकाल सामान्य त पर अधिकतम पाँच साल का होगा ।

3. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 16 के प्रावधा तहत राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों के सं हेतु पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों का सृजन तथा वाहन इत्यादि की व निम्नवत् की जाती है :-

6/6/11

कृ0पृ0उ0----

क्र०	पदनाम	वेतनमान	पदों की स्वीकृति संख्या	
1	2	3	4	
i.	संयुक्त सचिव -	14300-18300	01	
ii.	अवर सचिव -	10000-15200	01	
iii.	प्रशाखा पदाधिकारी-	6500 -10500	01	
iv.	सहायक -	5500 - 9000	02	
v.	निजी सहायक - (कम्प्यूटर का ज्ञान रखने वाले)	5500 - 9000	10	उपाध्यक्ष के लिए दो, सात सदस्यों के एक-एक एवं संयुक्त सचिव के लिए एक पद
vi.	उच्च वर्गीय लिपिक -	4000- 6000	01	
vii.	निम्नवर्गीय लिपिक -	3050 -4590	01	
viii.	चालक -	3050-4590	08	आदेशपालक एवं चा… के स्वीकृत पद के विरुद्ध नियुक्ति कार्मिक विभाग द्वा… निर्गत संकल्प संख्या… 2401 दिनांक - 18.7.2007 के आ… में संविदा के आधा… पर की जाएगी।
ix.	आदेशपाल/अनुसेवक -	2550-3200	13	
x.	सफाई कर्मी -	2550-3200	01	वाह्य स्त्रोत से

3.2. प्राधिकरण के उपयोग हेतु सात अम्बेसडर कार (ए०सी०) तथा कार्यालय कार्य के लिए एक मारुति वैन क्रय किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)

प्रधान सचिव।

कृ०प्र०उ०------ "2"

बिहार सरकार,
आपदा प्रबंधन विभाग ।

।। अधिसूचना ।।

संख्या-I प्र0आ0-11/2006 3549 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक - 6/11/

केन्द्र सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 14 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा "बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण" का गठन किया जाता है, जिसका स्वरूप आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 14 की उपधारा (2) के अनुसार निम्नवत् होगा

1. (क) बिहार राज्य के मुख्य मंत्री प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होंगे ।

(ख) अन्य सदस्य, जिनकी संख्या आठ से अधिक नहीं होगी, का नाम बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष (मुख्य मंत्री) के द्वारा निर्दिष्ट किया जायेगा ।

(ग) राज्य के मुख्य सचिव, पदेन सदस्य रहेंगे ।

2. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष (मुख्य मंत्री) के द्वारा उक्त आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 14 की उपधारा (3) एवं धारा 14 उपधारा (2) के खण्ड (ख) से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिन अन्य सद (अधिकतम आठ) को नाम निर्दिष्ट किया जायेगा, उनमें से एक को राज्य प्राधिक के उपाध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा, जो प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होंगे ।

2.1. प्राधिकरण के नाम निर्दिष्ट सदस्यों एवं उपाध्यक्ष का कार्यकाल सामान्य त पर अधिकतम पाँच साल का होगा ।

3. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 16 के प्रावध तहत राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों के सं हेतु पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों का सृजन तथा वाहन इत्यादि की व निम्नवत् की जाती है :-

6/11

क्र0पृ0उ0----